भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5656

दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एनबीईएमएस से बिल डेस्क

†5656. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेशः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्वायत्त निकायों की भर्ती, वेतन, वित्त और प्रशासन के विनियमन के संबंध में शिकायत संख्या 3567/2022 के संबंध में भारत के लोकपाल द्वारा दिनांक 25.07.2023 को की गई सिफारिशों को लागू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सिफारिशवार क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने एनबीईएमएस (आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड) को बिल डेस्क से हुई सार्वजनिक निधि की वित्तीय हानि की वसूली कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अप्राप्य, वसूली गई राशि और लागू ब्याज दर कितनी है;

(ङ) क्या सरकार ने लोकपाल द्वारा एनबीईएमएस में पाए गए कुप्रबंधन, नियमों के उल्लंघन, वित्तीय हेराफेरी और अन्य अनियमितताओं के संबंध में उठाए गए मुद्दे का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने इस मुद्दे की समीक्षा करने के लिए कोई जांच शुरू की है; और

(छ) यदि हां, तो जांच के निष्कर्षों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (छ): भारत के माननीय लोकपाल ने दिनांक 25.07.2023 के अपने निर्णय के माध्यम से सरकार के अधीन सभी स्वायत्त शासी निकायों के कार्यों में प्रणालीगत सुधार के लिए सामान्य सिफारिशें कीं। मंत्रालय ने एनबीईएमएस में इन सिफारिशों को लागू किया है। एनबीईएमएस सभी सेवा और वित्तीय मामलों में भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन करता है। मंत्रालय एनबीईएमएस का नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा करता है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षा की जाती है।

इसके अलावा, एनबीईएमएस के संचालन में किसी भी कमी की पहचान करने और इसकी प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत और सुव्यवस्थित करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने पाया कि एनबीईएमएस के सभी विभाग और अनुभाग कुशलतापूर्वक और प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं, सलाहकारों की सभी नियुक्तियां डीओपीटी और नीति आयोग के दिशानिर्देशों के अनुरूप थीं और भ्रष्टाचार या अनियमितताओं का कोई साक्ष्य नहीं था।

इसके अतिरिक्त, एनबीईएमएस ने संबंधित पक्षों के साथ मध्यस्थता के माध्यम से बिलडेस्क के कारण एनबीईएमएस को हुए धन के नुकसान के मामले को उठाया है।

****